महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक : 008/2015-16/ना.अ.गृ./136/126
दिनांक : 09.09.2016

कार्यालयादेश

नागार्जुन अतिथि गृह में चल रही भोजनादि की व्यवस्था को अतिथि गृह की प्रबंधन समिति के निर्देशन में चलाने का निर्णय लिया गया है। **तद्नुसार निम्नांकित व्यवस्था दिनांक 16.09.2016 से प्रभावी होगी** :

1. प्रति व्यक्ति जलपान / भोजन की दरें निम्नानुसार होंगी :

चाय	₹ 07/-	कॉफी	₹ 10/-
दूध (200ml.)	₹ 10/-	नाश्ता	₹ 40/-
अपराह्न भोजन	₹ 80/-	रात्रि भोजन	₹ 80/-
विशेष भोजन (प्रत्येक शुक्रवार): पनीर के साथ ₹ 100/- एवं निरामिष भोजन (मछली / चिकन / मटन) ₹120/- की दर से उपलब्ध होगा।			

2. मासिक आधार पर भोजन करनेवाले विश्वविद्यालय कर्मियों को प्रत्येक माह की चार तारीख तक राशि ₹ 5,000/- अग्रिम केयरटेकर के पास जमा करनी होगी। शेष अथवा देय राशि का समायोजन माह के अंत में किया जाएगा।
3. कार्यालयीन प्रयोजन से आए अतिथियों के जाने से पूर्व भोजन की राशि का भुगतान संबंधित बिल पर अतिथि के हस्ताक्षर / विभाग प्रमुख के सत्यापन के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
4. कभी–कभार भोजन के इच्छुक विश्वविद्यालय कर्मियों को न्यूनतम तीन घंटे पूर्व केयरटेकर को सूचित करने तथा अग्रिम भुगतान (कूपन पद्धति) के आधार पर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. नियमित भोजन करनेवालों को भोजन की आवश्यकता न होने पर न्यूनतम तीन घंटे पूर्व केयरटेकर को सूचित करना आवश्यक होगा अन्यथा भुगतान देय होगा।
6. अतिथि गृह के बाहर खाना ले जाना प्रतिबंधित होगा।
7. अतिथि गृह के कमरों में 30% सेवा शुल्क के अतिरिक्त भुगतान पर नाश्ता / भोजन उपलब्ध होगा।
8. स्टॉफ के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का मेस की रसोई में प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
9. निर्धारित मेस मेन्यू के अनुसार ही भोजन की व्यवस्था उपलब्ध होगी।
10. जलपान एवं भोजन निम्नांकित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा :

क्रं.	व्यवस्था	समय
1.	चाय	सुबह 06.30 बजे से सुबह 07.30 बजे तक
2.	जलपान	सुबह 08.00 बजे से सुबह 9.30 बजे तक
3.	अपराह्न का भोजन	अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 2.30 बजे तक
4.	चाय / कॉफी	सायं 05.30 बजे से सायं 06.30 बजे तक
5.	रात्रि भोजन	रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक

उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्यालयादेश क्रमांक 008/2015-16/ना.अ.गृ./136/46, दिनांक 27.05.2016 के अंतर्गत दिनांक 01.06.2016 से प्रभावी नियम क्रं. 11 में उल्लिखित अन्य शर्तें भी लागू रहेंगी।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. **कुलपति,** म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. **प्रति–कुलपति,** म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. **कुलसचिव,** म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
4. **वित्ताधिकारी,** म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. **सूचना पट्ट / प्रभारी / केयरटेकर नागार्जुन अतिथि गृह**
6. **जनसंपर्क अधिकारी,** विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।